

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-765/2015/अलवर

1. ओप्रकाश राजोरिया पुत्र हृदय सिंह राजोरिया
 2. विशाल राजोरिया पुत्र ओमप्रकाश राजोरिया
 3. आकश राजोरिया पुत्र ओमप्रकाश राजोरिया
- समस्त जाति स्वर्णकार निवासी मकान नम्बर 267 स्कीम नम्बर 1 आर्य नगर, अलवर।
...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक प्रथम अलवर जिला अलवर।
2. पवन जैन पुत्र मूलकचन्द जैन
निवासी 1/189 सिविल लाईन्स दिल्ली गेट, आगरा, उत्तर प्रदेश।

.....अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक
श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक
श्री रामकिशोर खदाव
उप राजकीय अभिभाषक

...प्रार्थी संख्या 1 की ओर से.
...प्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से.

.....राजस्व की ओर से
दिनांक : 20.09.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अलवर (जिसे आगे 'अधीनस्थ न्यायालय' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 07.05.2015 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक प्रथम अलवर, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को यथावत स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक आवासीय भूखण्ड खोहरा मौहल्ला शहर अलवर में स्थित जिसका कुल रकबा 673.55 वर्ग गज है, को अप्रार्थी संख्या 2 से 1,00,00,000/- में क्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2012 को निष्पादित कर पंजीयन हेतु उप पंजीयक के के समक्ष प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने इस भूखण्ड का आवासीय दर से मूल्यांकन कर राशि 1,30,88,904/- रुपये मालियत निर्धारित की गयी जिसपर प्रार्थीगण द्वारा 7,19,895/- मुद्रांक शुल्क व 10,950/- पंजीयन शुल्क अदा करने पर विक्रय पत्र को पंजीकृत कर पक्षकारों को लौटा दिया। तत्पश्चात अंकेक्षण दल द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को अशोक सर्किल (नगली का चौराहा) पर स्थित होने तथा भूखण्ड के उत्तर में सिटी सेन्टर नामक शॉपिंग मॉल कामर्शियल काम्पलेक्स होने से इसको व्यवसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित होना मानकर एवं भूखण्ड के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने के आधार पर इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक दरों से किया जाना आक्षेपित किया गया। इस क्रम में उपपंजीयक द्वारा अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के तहत पक्षकारों को प्रश्नगत

लगातार.....2.

भूखण्ड की मालियत वाणिज्यिक दर से निर्धारित कर अन्तर मुद्रांक शुल्क जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थीगण व विक्रेता द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर उपपंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के तहत कमी मालियत का रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। अंकेक्षण दल आक्षेप के आधार पर उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को निगरानीधीन आदेश दिनांक 07.05.2015 द्वारा यथावत स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्तागण द्वारा आवासीय भूखण्ड क्रय कर दिनांक 12.04.2012 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया। उप पंजीयक ने उक्त विक्रय पत्र दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करते हुए अधिनियम की धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर मूल दस्तावेज प्रार्थीगण को लौटा दिया गया। प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय है तथा उसका उपयोग आवासीय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय मकान जीर्ण शीर्ण अवस्थ में था। जिसे विक्रेता द्वारा स्वयं के खर्चे पर तुड़वा दिया गया था। दस्तावेज निष्पादन के समय भूखण्ड खाली पड़त अवस्था में था, जो आज भी मौके पर पडत ही है। प्रार्थीगण निगरानीकर्ता ने इस आवासीय भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिये नगर सुधार न्यास में आवेदन किया तथा माह, अक्टूबर, 2013 में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिस पर प्रार्थीगण खरीददार अब आवासीय भवन निर्माण की योजना बना रहे है। उक्त आवासीय भूखण्ड पडत मौहल्ला खोहरा अलवर से लगता हुआ है। जिसके सामने सरकारी सड़क है। भूखण्ड के उत्तर में जायदाद पवन जैन वगै० और दक्षिण में जायदाद देवेन्द्र सचेती की है। यह भूखण्ड पूर्व में भी दो बार बिक चुका है, जिसमें भी उक्त भूखण्ड आवासीय में बयनामा तहरीर तकमील हुए है, भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ खरीदा गया है। इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व स्वामियों द्वारा इसके भू-उपयोग परिवर्तन बावत् नगर विकास न्यास अलवर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन का आवेदन दिनांक 23.12.2003 को निरस्त किया जा चुका है नगर विकास न्यास अलवर के पत्र दिनांक 11.10.2013 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी। प्रश्नगत भूखण्ड की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.02.2014 के अनुसार मौके पर भूखण्ड खाली व निर्माण रहित है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर में सिटी सेन्टर नामक शॉपिंग मॉल व दक्षिण में आवासीय भवन स्थित है, पश्चिम में खोरा मौहल्ला आबादी के मकान तथा पूर्व में अशोक सर्किल की सड़क स्थित है। आवासीय भूखण्ड बनाने हेतु नगर सुधार न्यास, अलवर से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है। उक्त


लगातार.....3.

भूखण्ड के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियों के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड की मालियत आवासीय से व्यवसायिक नहीं मानी जा सकती है क्योंकि इसके आस-पास आवासीय एवं आबादी क्षेत्र भी है। विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि प्रथम तो क्रय की गई सम्पत्ति आवासीय प्रकृति की है, द्वितीय इस पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति भी मिल गयी है, तृतीय पूर्व में आवासीय से वाणिज्यिक रूपान्तरण का आवेदन भी निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति का न तो आवासीय से अन्यथा उपयोग किया जा रहा है तथा न ही यह वाणिज्यिक रूपान्तरित है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 02/04 में यह स्पष्ट अंकित है कि भूमि का व्यवसायिक दर से मूल्यांकन तभी किया जावे जबकि "दस्तावेज के निष्पादन के समय उसका उपयोग वास्तव में व्यवसायिक हो" एवं सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जाये। अतः प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.05.2015 को अपास्त करने तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये गया।

5. अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

राजस्थान कर बोर्ड की निगरानी संख्या 1405 - 1949/जयपुर/2012 रतन कुमारी बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 31.03.2014, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2012 DNJ (SC)128 Civil Appeal No. 735/2012 निर्णय दिनांक 20.01.2012 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरीश टण्डन, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 2008(1)आर.आर.टी. 449 रिवीजन नं0 3489/2005/ अलवर पूरनमल बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 31.01.2008, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर 2008(1) आर.आर.टी. 452 रिवीजन नं0 2334/2005/ अलवर बिरदीचन्द बनाम बूलाराम निर्णय दिनांक 14.02.2007, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 2009(1) आर.आर.टी. 11 रिवीजन नं0 3229/2005/ हनुमानगढ़ राजस्थान सरकार बनाम राकेश कुमार निर्णय दिनांक 19.08.2008, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 2010(2) आर.आर.टी. 831 रिवीजन नं0 666, 667/2005/ झालावाड़ राजस्थान सरकार बनाम दिनेश कुमार बोहरा निर्णय दिनांक 08.01.2010, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 2008(1) आर.आर.टी. 495 काशीराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 15.01.2008, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 2009(2) आर.आर.टी. 902 रिवीजन नं0 1886 व 1887/2008/जयपुर संजय भार्गव बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 25.03.2009 आदि न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में उन्होंने कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति व्यवसायिक क्षेत्र के समीप व्यवसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित है तथा आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

लगातार.....4.

प्रश्नगत भूखण्ड का मूल्यांकन वाणिज्यिक दर से कर रेफरेन्स को स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश में हस्ताक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अप्रार्थी राजस्व विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रवली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाये या वाणिज्यिक दर से।
8. प्रार्थीगण ने एक भूखण्ड खोहरा मौहल्ला शहर अलवर में स्थित जिसका कुल रकबा 673.55 वर्ग गज है, को अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद कर उसका विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2012 को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया। उपपंजीयक द्वारा विक्रय पत्र को पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया गया।
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का मूल्यांकन वाणिज्यिक दर से किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक की मौका रिपोर्ट में भूखण्ड को अशोक सर्किल (नगंली का चौराहा) पर स्थित तथा भूखण्ड के उत्तर में सिटी सेन्टर नामक शॉपिंग मॉल कामर्शियल काम्पलेक्स होने से प्रश्नगत भूखण्ड को व्यवसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित होना मानकर एवं भूखण्ड के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को वाणिज्यिक मानकर अंकेक्षण दल आक्षेप के आधार पर उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को निगरानीधीन आदेश दिनांक 07.05.2015 द्वारा यथावत स्वीकार किया गया।
10. प्रार्थीगण द्वारा किसी भी तथ्य को अपने विक्रय पत्र में छिपाया नहीं गया है। प्रश्नगत दस्तावेज को बाद पंजीबद्ध प्रार्थीगण क्रेता को लौटा दिया गया था तत्पश्चात अंकेक्षण दल के आक्षेप के आधार पर कलक्टर मुद्रांक को रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड रिकॉर्ड में आवासीय है। प्रश्नगत भूखण्ड के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने के कारण उसकी गणना वाणिज्यिक दर से किये जाने का आक्षेप अंकित किया है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि भविष्य में संभावित प्रयोग के आधार पर मालियत का निर्धारण न किया जाकर बिक्रीत सम्पत्ति की वक्त पंजीयन प्रकृति के अनुसार मालियत का निर्धारण किया जावे। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त आर. एल.डब्ल्यू. 2012 (2) पेज 1443 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य बनाम अम्बरीश टण्डन Civil Appeal No. 735 of 2012 Order Dated 20-01-2012 में यह मत प्रतिपादित किया

है:-

लगातार.....5.

"INDIAN STAMP ACT, 1899, Section 47A and 33, Market Value of Property-Nature of user is relatable to the date of purchase and it is relevant for the calculation of stamp duty. Merely because the property is being used for commercial purpose at the later point of time may not be a relevant criterion for assessing the value for the purpose of stamp duty. The nature of user is relatable to the date of purchase and it is relevant for the purpose of calculation of stamp duty. Though the matter could have been considered by the Appellate Authority in view of our reasoning that there was no serious objection and in fact the said alternative remedy was not agitated seriously and in view of the factual details based on which the High Court has quashed the order dated 27-09-2004 passed by the Additional District Collector, we are not inclined to interfere at this juncture."

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 4.12.2002 एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर मूल्यांकन नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बिन्दु संख्या 9 निम्न प्रकार है :-

भूमि के सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार भूमि का मूल्यांकन नहीं करें :-

राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 4.12.2002 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग, स्थानीय निकाय की योजना में स्थिति, रूपान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जावे। सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।"

11. इसी प्रकार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 5/2006 क्रमांक एफ-7(67)जन/06/2285-2720 दिनांक 30.01.2006 में भी सम्भावित उपयोग एवं भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किये जाने बाबत निर्देश दिये गये हैं। निगरानीकर्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील (सिविल) 5273/2007, राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में पारित निर्णय (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 एवं हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोज कुमार 2010(2) RRT 731 प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विक्रय दस्तावेज के पंजीबद्ध करवाने पर उसकी पंजीयन तिथि को प्रकृति एवं प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रचलित दर से मुद्रांक शुल्क की देयता निर्धारित की जाती है। इस प्रकार यह सुस्थापित है कि क्रय की जा रही सम्पत्ति के सम्भावित उपयोग के आधार पर दस्तावेज पंजीयन की तिथि को मूल्यांकन कर, मुद्रांक कर नहीं वसूला जा सकता। पंजीयन तिथि को सम्पत्ति का क्या उपयोग हो रहा है एवं रिकॉर्ड में भूमि की किस्म क्या है, प्रासंगिक एवं सुसंगत है।

12. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व स्वामियों द्वारा इसके भू-उपयोग परिवर्तन बाबत नगर विकास न्यास अलवर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में नगर विकास न्यास अलवर का पत्र दिनांक 17.11.2005 की फोटो

लगातार.....6.

- प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन का आवेदन दिनांक 23.12.2003 को निरस्त किया जा चुका है और इसकी सूचना पत्र दिनांक 741/2004 दिनांक 07.01.2004 द्वारा सूचित किया जा चुका है। नगर विकास न्यास अलवर के पत्र दिनांक 11.10.2013 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 12.04.2012 को निष्पादित किया गया था। प्रश्नगत भूखण्ड की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.02.2014 के अनुसार दिनांक 03.02.2014 को मौका देखा गया जिसमें मौके पर भूखण्ड खाली व निर्माण रहित होने का उल्लेख है तथा प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्व में दिनांक 23.12.2003 को आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजन बावत् भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त किया जा चुका है। प्रश्नगत दस्तावेज के निष्पादन दिनांक 12.04.2012 के पश्चात् इसपर आवासीय निर्माण की स्वीकृति दिनांक 11.10.2013 को जारी की गयी। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर में सिटी सेन्टर नामक शॉपिंग मॉल व दक्षिण में आवासीय भवन स्थित है, पश्चिम में खोरा मौहल्ला आबादी के मकान तथा पूर्व में अशोक सर्किल की सड़क स्थित है। प्रश्नगत भूखण्ड के आस-पास आवासीय मकानात स्थित है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड सघन वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय भूखण्ड के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका उपयोग आवासीय के अन्यथा लिया जा रहा हो ऐसी कोई साक्ष्य राजस्व की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति आवासीय प्रकृति की है एवं इस पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति भी मिल गयी है तथा पूर्व में आवासीय से वाणिज्यिक रूपान्तरण का आवेदन भी निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार जब प्रश्नगत सम्पत्ति का न तो आवासीय से अन्यथा उपयोग किया जा रहा है तथा न ही यह वाणिज्यिक रूपान्तरित है। यहां तक की मौका रिपोर्ट में भी प्रश्नगत भूखण्ड को खाली व निर्माण रहित बताया गया है तथा यह सघन वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित नहीं है तब केवल सम्भावनाओं के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड की मालियत की गणना आवासीय दर से किया जाना विधिसम्मत है।
13. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा क्रय प्रश्नगत भूखण्ड की मालियत का निर्धारण आवासीय दर से किया जाना विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश दिनांक 07.05.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।
 14. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर के निगरानीधीन आदेश दिनांक 07.05.2015 अपास्त किया जाता है।
 15. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य